FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़ावा

दयाल सिंह बनाम सरकार

मुकदमात प्रार्थना पत्र धारा 136 नं. 41 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
[illegible].03.20	आज यह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल0 आर0 एक्ट बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से मंगवाने हेतु तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी हो। मिसल वास्ते तलबी व बईन्तजार रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा हेतु दिनांक 30.03.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा	
30/3/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। [illegible] हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 27-7-20 को पेश हो।	
27/7/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में [illegible] हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 28-9-20 को पेश हो।	
28/9/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 13-10-20 को पेश हो।	
13/10/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त हुई शामिल मिसल रहे। वकील आवेदक ने मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी। आवेदक की खातेदारी भूमि स्थित राजस्व ग्राम भारवड़ी पटवार [illegible] खसरा नम्बर 141 रकबा 2.82 है0 में से प्रार्थी [illegible] हिस्सा है। आवेदक का सही नाम [illegible] है [illegible] राजस्व रिकार्ड में सहवन से [illegible] व अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.07.19 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड मे दयाल सिंह पुत्र मुखराम के स्थान पर हरदयाल पुत्र मुखराम दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] के राजस्व ग्राम जाखड़ा के राजस्व रिकार्ड मे संशोधन करने हेतु आदेश करे। और रिकार्ड मे संशोधन किया जावे कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे हरदयाल पुत्र मुखराम के स्थान पर दयाल सिंह पुत्र मुखराम व ग्राम का नाम कुठानियां [illegible] दर्ज कर समस्त राजस्व रिकार्ड मे ग्राम जाखड़ा [illegible] दर्ज कर समस्त राजस्व रिकार्ड मे संशोधन कर देवे। प्रकरण मे तहसीलदार चिड़ावा ने रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया है कि मुखराम पुत्र गोपाल के फौत होने पर ग्राम जाखड़ा मे नामान्तरण सं० 118 पर नामान्तरकरण विरासत से दर्ज किया गया जिसमे मुखराम के वारिसो का नाम दर्ज करते हुए वारिस दयाल सिंह का नाम हरदयाल दर्ज किया गया जो आजतक निरंतर जमाबन्दी मे चला आ रहा है जो कि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता सं० 122 मे बतौर खातेदार दर्ज है एवं ग्राम कुठानिया मे भी उक्त प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसका खाता सं० 104 जमाबन्दी संवत 2074-77 मे दयाल सिंह पुत्र मुखराम जाति- जाट बतौर खातेदार दर्ज है जिसकी जमाबन्दी संलग्न रिपोर्ट है। प्रार्थी/आवेदक के समस्त दस्तावेजो मे भी दयाल सिंह पुत्र मुखराम अंकित है जो पैन कार्ड एवं आधार कार्ड मे दर्ज है। उपस्थित मौतबिरो ने बताया की दयाल सिंह को आम बोलचाल की भाषा मे गांव एवं घर मे हरदयाल के नाम से पुकारा जाता था, अतः पिता की मृत्यू के बाद कृषि भूमि मे नामान्तरण दर्ज करते समय आम बोलचाल की भाषा का नाम हरदयाल पुत्र मुखराम दर्ज हो गया जो कि गलत है अतः राजस्व रेकार्ड मे हरदयाल पुत्र मुखराम [obscured] पुत्र मुखराम दर्ज किया जाता है [obscured] खातेदार एवं मौतबिरो के [obscured] जमाबन्दी पर उपलब्ध दस्तावेजो [obscured] तहसीलदार चिड़ावा के आधार पर प्रार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.07.19 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

Scanned with CamScanner

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत [illegible] मुकाम [illegible]

[illegible] [illegible]

जिला मुकदमा [illegible] सन् [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	किया जाता है। महालेखाकार विभाग के प्रतिनिधि [illegible] बताते है कि [illegible] [illegible] की जानकारी [illegible] [illegible] 192 से [illegible] 1/6 [illegible] [illegible] है। [illegible] 2012 [illegible] [illegible] से [illegible] का [illegible] एवं [illegible] के [illegible] पर [illegible] के [illegible] [illegible] एवं [illegible] का [illegible] की [illegible] एवं [illegible] [illegible] से [illegible] करें। महालेखाकार विभाग [illegible] विभाग से [illegible] करवाए करें। महालेखाकार विभाग के यह भी [illegible] किया जाता है कि निर्णय की पालना करने से पहले बैंक की [illegible] या [illegible] होने उपरान्त ही निर्णय का [illegible] करवाए करें। महालेखाकार विभाग के [illegible] जाते हैं। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.07.19 12:57:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner